# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–1247/2017**

तिलक राज खन्ना **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अति.निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 08.09.2023

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता।

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत था और उसे आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया था। अपीलार्थी के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात), उदयपुर में एक फौजदारी प्रकरण दर्ज होने के आधार पर अपीलार्थी को निलम्बित किया गया था। निलम्बन के दौरान अपीलार्थी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2015 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात), उदयपुर द्वारा विचारण करने के पश्चात आदेश दिनांक 22.12.2015 के द्वारा अपीलार्थी को उस पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया। अपीलार्थी के विरूद्ध लम्बित मामले के कारण अपीलार्थी को पर्यवेक्षक से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई और अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ दिया गया। सहायक निदेशक के पद हेतु आयोजित वर्ष 2008–09 व 2009–10 की रिव्यू डीपीसी एवं वर्ष 2013–14 की नियमित डीपीसी के समय अपीलार्थी के मामले को सीलबन्द रखा गया। आदेश दिनांक 8 जुलाई, 2016 के द्वारा विभाग द्वारा यह आदेश

पारित किया गया कि अपीलार्थी को फौजदारी प्रकरण (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) में दिनांक 22–12–2015 को दोषमुक्त कर दिया है। इसलिए उसकी निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ सेवा में शुमार किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। साथ ही दिये गये निर्वाह भत्ते को कम करते हुए सम्पूर्ण वेतन की स्वीकृति प्रदान की गई। अपीलार्थी के प्रतिवेदन देने के लगभग एक वर्ष पश्चात आदेश दिनांक 19–12–2016 द्वारा अपीलार्थी के सीलबंद लिफाफे को खोलते हुए उसे वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध राजस्थान राज्य बीमा एवं भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24(ए) के उपनियम 11 के अंतर्गत सहायक निदेशक के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध स्थानापन्न रूप से नियुक्त/पदोन्नत किया गया और उसकी वरिष्ठता श्री गंगासिंह चौहान के ऊपर एवं श्री घनश्याम शर्मा के नीचे निर्धारित की गई व उन्हें 1–8–2013 से सहायक निदेशक का पद रिक्त मानते हुए पदोन्नति का लाभ दिया गया। आदेश दिनांक 19–12–2016 के आदेश की पालना में अपीलार्थी को राजस्थान राज्य बीमा एवं भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24(ए) के उपनियम 11 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2013–14 की सिफारिश पर उक्त सेवा के पर्यवेक्षक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त अपीलार्थी को उक्त नियमों के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान राज्य बीमा एवं भविष्य निधि सेवा के सहायक निदेशक के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध स्थानापन्न रूप पदोन्नति/नियुक्त करते हुए उनका वेतन स्थिरीकरण किया गया। अपीलार्थी को अनुचित रूप से आदेश दिनांक 30–3–2017 के द्वारा काल्पनिक वेतन स्थिरीकरण किया गया और वास्तविक लाभ नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थी अपनी पदोन्नति पर 1–8–2013 से वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति के समय 198 दिवस का उपार्जित अवकाश बकाया था, जिसका भुगतान भी उसकी सेवानिवृति पर नहीं किया गया था और दिनांक 7–4–2017 के आदेश द्वारा उसे उक्त लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। राजस्थान सेवा नियमों में यह प्रावधान है कि यदि कर्मचारी विभागीय जांच अथवा फौजदारी प्रकरण में बरी हो जाता है और उसकी सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ उसकी सेवानिवृति दिनांक को बकाया मानते हुए वास्तविक भुगतान तिथि तक का ब्याज दिया जाना चाहिये। इसलिए अपीलार्थी 198 दिवस के उपार्जित

अवकाश के बदले नगद भुगतान पर 31–12–2015 से वास्तविक भुगतान तिथि तक का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृति लाभ अंतिम पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन माह जून, 2017 में दिये गये है, जबकि अपीलार्थी उक्त लाभों पर उसके बकाया होने की दिनांक 31–12–2015 से मई, 2017 तक नियमानुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार फौजदारी प्रकरण विचाराधीन रहते हुए राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निदेशालय के पत्र क्रमांक प.1292/संस्था/बीमा/2016/13294 दिनांक 5–2–2016 से प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति हेतु फार्म संख्या 33 पर विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर विभागीय पत्र क्रमांक 1346 दिनांक 25–2–2016 से पेंशन विभाग अजमेर को प्रेषित किया गया। पेंशन विभाग का पत्रांक 14488 दिनांक 1–3–2016 के अनुसार संबंधित अपीलार्थी से पूर्ति करवाकर दिनांक 9–3–2016 को प्रेषित करने पर प्रोविजनल पेंशन पीपीओ नंबर 1027521(आर) दिनांक 21–3–2016 को जारी किया गया। अपीलार्थी का पदौन्नति के संबंध में कोई प्रकरण विभाग के समक्ष लम्बित नही है। अपीलार्थी की पदौन्नति वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हो चुकी है। दिनांक 7–8–2013 को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित सहायक निदेशक की डीपीसी के समय अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण लम्बित था। अपीलार्थी के विरूद्ध राशि 20,000/– रूपये की रिश्वत मांगने का आरोप प्रमाणित होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मुकदमा दर्ज गया, जिसमें विभाग द्वारा पत्रांक 2027 दिनांक 4–6–2013 द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गई। अतः प्रकरण में निर्णय होने तक अपीलार्थी के प्रकरण को नियमानुसार सील कवर में रखा गया। अपीलार्थी को वित्त (बीमा एवं पेशन) विभाग की आज्ञा सख्या 4(17) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 19–12–2016 द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई तथा विभागीय आदेश क्रमांक 114 दिनांक 30–3–2017 द्वारा वेतन का निर्धारण किया जा चुका है। राज्यादेश दिनांक 30–7–2013/23–2–2015 के तहत वेतन निर्धारण पदौन्नति वर्ष में पद रिक्ति की वास्तविक तिथि से नोशनल होगा तथा वास्तविक लाभ पदौन्नति पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक 3405 दिनांक 27–6–2017,

जिससे पदौन्नति पर पदौन्नत पद के वेतन, भत्ते कार्यग्रहण करने की दिनांक से अथवा वास्तविक रूप से कार्य करने पर नकद देय होते है तथा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पूर्व काल्पनिक वेतन भत्ते देय होते है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा सहायक निदेशक के पद पर कभी भी कार्यग्रहण नही किया गया था, अतः अपीलार्थी को पदौन्नति पर वेतन के लाभ नियमानुसार काल्पनिक देय है, जिसका लाभ आगामी पेंशन निर्धारण में अपीलार्थी को प्राप्त है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30–7–2013, दिनांक 23–2–2015 में स्पष्ट उल्लेख है। अपीलार्थी के निलम्बनकाल काल का निर्णय तथा विभागीय अण्डरटेकिंग से प्राप्त ऋण का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण लम्बित था। शाखा प्रबन्धक चित्तोडगढ़, केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उनका पत्र क्रमांक ऋण/2013–14/2811 दिनांक 13–8–2013 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा विभागीय अण्डरटेकिंग से प्राप्त ऋण राशि रूपये 2,00,000/– जिसकी किश्तों की अदायगी समय पर नही कराई गई, अतः अपीलार्थी का वेतन रोकते हुए सेवा परिलाभ बिना बैंक के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुए भुगतान नही किये जाने के संबंध में आग्रह किया गया था। इसलिए अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश के भुगतान में देरी हुई। केन्द्रीय सहकारी बैंक चित्तोडगढ से लिये गये ऋण के बकाया होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 3–10–2016 को विभाग को अवगत कराया गया कि मुझे सेवानिवृति के समस्त परिलाभ एवं समर्पित अवकाश की राशि का भुगतान तभी स्वीकृत किया जाय जब मेरे द्वारा उक्त ऋण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। अपीलार्थी द्वारा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 5–2–2017 को विभाग को उपलब्ध कराया गया तथा अपीलार्थी उपरोक्त तथ्यानुसार ब्याज लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बैंक द्वारा जारी अदेय प्रमाण पत्र पेंशन कुलक एवं वाहन ऋण अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 15–2–2017 को इस कार्यालय में उपलब्ध कराये गये। इनके प्रस्तुत करते ही कार्यालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। उल्लेखनीय है कि पेंशन कुलक की पूर्ति स्वय कर्मचारी द्वारा की जानी होती है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा विभागीय अण्डरटेकिंग पर प्राप्त ऋण का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अदेय प्रमाण पत्र जिसमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस पर विभाग द्वारा दिनांक 20–2–2017 को शाखा प्रबन्धक चित्तोडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड चित्तोडगढ़ को अपीलार्थी के पेटे अब कोई

राशि बकाया नही है, के बाबत लिखा गया। फिर विभाग द्वारा बैंक को दिनांक 7–3–2017 को अदेय प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु लिखा गया। बैंक द्वारा दिनांक 30–3–2017 को अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजा गया। अपीलार्थी को दिनांक 31–3–2017 को पेंशन कुलक के पृष्ठ संख्या 4 की पूर्ति हेतु लिखा गया। अपीलार्थी के विरूद्ध जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र दिनांक 17–5–2017 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण में पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेपों की अपीलार्थी एवं विभाग द्वारा पूर्ति करके दिनांक 19–5–2017 को अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया गया। उसके बाद अपीलार्थी का पीपीओ दिनांक 6–6–2017, जीपीओ दिनांक 5–6–2017 व सीपीओ 5–6–2017 जारी किये जा चुके है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस अपील में अपीलार्थी ने जो प्रार्थना की है, निम्न प्रकार से हैः–

(i) अपीलार्थी को जो सेवानिवृत्ति के उपरांत दिनांक 01.08.2013 से पदोन्नति दी गई, उसके समस्त वास्तविक लाभ का भुगतान मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिलाया जाये।

(ii) अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले उपार्जित उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान जो उसे अप्रैल 2017 में किया गया, उस पर सेवानिवृत्ति की दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज दिलाया जाये।

(iii) अपीलार्थी को अंतिम पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ माह जून, 2017 में जारी किये गये। उसे 31.12.2015 से बकाया मानते हुए नियमानुसार 31.12.2015 से मई 2017 तक 18 प्रतिशत ब्याज दिलाया जाये।

5. जहां तक अपीलार्थी के प्रथम अनुतोष का प्रश्न है, तो अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी को उसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज होने के कारण निलम्बित किया गया था। निलम्बन के दौरान आयोजित डीपीसी में पदोन्नति हेतु डीपीसी में अपीलार्थी का मामला सीलबन्द रखा गया। अपीलार्थी को दिनांक 22.12.2015 को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने एवं अपीलार्थी के दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 19.12.2016 को सीलबन्द लिफाफा खोला गया और अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक निदेशक के पद पर प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को काल्पनिक रूप से वेतन

स्थितीकरण किया गया और वास्तविक लाभ नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थी अपनी पदोन्नति पर दिनांक 01.08.2013 से वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि राज्यादेश दिनांक 13.07.2013 एवं 23.02.2015 के तहत पदोन्नति पर पदोन्नति पद का वेतन कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होता है। कार्यग्रहण करने की दिनांक से पूर्व काल्पनिक वेतन भत्ते देय होते हैं। चूंकि अपीलार्थी सहायक निदेशक पद पर कभी कार्यग्रहण नहीं किया। अतः अपीलार्थी को पदोन्नति पद पर वेतन का लाभ काल्पनिक रूप से दिया गया, जो नियमानुसार है।

6. हमारे द्वारा राजस्थान सरकार विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.08.2013 का अवलोकन किया गया। जिसमें निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है :–

> B.(2) Where DPC of earlier years is convened in the subsequent years, but before issuance of promotion order employee retires, in that case his not ona! fixation of pay may be made on promotion post from 1st April of the DPC year or from the date of vacancy against which the selection is made, as the case may be, upto the date of his retirement.

7. अतः उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व ही अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो चुका था और अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कभी कार्यग्रहण नहीं किया था। अतः अपीलार्थी को केवलमात्र नोशनल लाभ दिया जाना उचित है एवं वित्त विभाग के उक्त आदेश के अनुरूप है। अतः अपीलार्थी को वास्तविक वेतन नहीं दिये जाने में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

8. उपरोक्त अंकित अनुतोष संख्या 2 एवं 3 में अपीलार्थी ने उपार्जित अवकाश के बदले नकद का देरी से भुगतान और अंतिम पीपीओ, सीपीओ, जीपीओ का देरी से जारी होना बताते हुए सेवानिवृत्ति की दिनांक से ब्याज की राशि की मांग की है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी ने विभागीय अंडरटेकिंग के आधार पर केन्द्रीय सहाकारी बैंक, चित्तोड़गढ द्वारा 2 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया था। जिस ऋण की अदायगी समय पर नहीं की गई। केन्द्रीय सहाकारी बैंक, चित्तोड़गढ से लिये गये ऋण के बकाया होने पर अपीलार्थी ने यह लिखकर दिया था कि सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ एवं समस्त अवकाशों की राशि का भुगतान स्वीकृति के समय मेरे द्वारा ऋण का ना–ड्यूज प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

अपीलार्थी ने बैंक का नो–ड्यूज दिनांक 18.04.2017 को प्रस्तुत किया। जिसके उपरांत अपीलार्थी को देय लाभ अंतिम रूप से दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के दौरान देय समस्त लाभों के भुगतान में हुई देरी का कारण अपीलार्थी द्वारा बैंक का नो–ड्यूज प्रमाण पत्र नहीं करना रहा है एवं इसके लिए प्रत्यर्थी विभाग की गलती होना नहीं माना जा सकता। अतः हम यह पाते हैं कि सेवानिवृत्ति लाभ के देरी से किये गये भुगतान पर अपीलार्थी ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**